(4)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारी:- कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-62/2021 दायरा दिनांक 08.09.2021
GCMS CASE NO-2021/62

1. रजीराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी सिहुवाला तहसील सूरतगढ़
2. कृष्णलाल पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी सिहुवाला तहसील सूरतगढ़
3. कपिल पुत्र रामस्वरूप पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी सिहुवाला तहसील सूरतगढ़
4. महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी सिहुवाला तहसील सूरतगढ़
5. ख्यालीराम पुत्र रामचन्द्र पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी सिहुवाला तहसील सूरतगढ़
6. साहबराम पुत्र रामचन्द्र पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी सिहुवाला तहसील सूरतगढ़

—अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़

—रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित:—
1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज, रेस्पोडेंट

—:: निर्णय ::— दिनांक :18.12.2024

अपीलांटस ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ ने प्रकरण संख्या 73/2015 ब अनवान सरकार बनाम रामस्वरूप आदि में दिनांक 30.03.2015 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर जैर अपील रकबा यथा चक 1 एसपीडी के पत्थर न. 66/323 की 5.378 है0 पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए, अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये अपीलांट की पीठ के पीछे अपीलांट संख्या 1 ता 4 के पिता रामस्वरूप व अपीलांट संख्या 5 व 6 को अतिक्रमी घोषित कर एक साथ तीन सजा का एक साथ नोटिस दिया है। जैर अपील रकबा पिछले 50 वर्षो से अपीलांट के कब्जा काश्त में चल आ रहा है।कब्जा नियमन के संबंध में आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष कार्यवाही जैरकार है। अपीलांटस कब्जे के आधार पर नियमन आवंटन के पात्र भी है। राज्य सरकार की अधिसूचना सख्या एफ 4 (16)/कॉलो/99 दिनांक 26.11.2004 राजस्थार उपनिवेशन (इ.गा.न.प. आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में नियम 21 ए प्रतिस्थापित कर प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 01.01.1996 से पूर्व से लगातार 5 वर्षो से काबिज है तो उसे उस भूमि से बेदख लना कर भूमि पर काबिज रहने दिया जावे। तत्पश्चात राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या एफ 4 (16) कॉलो/99 जीएसआर 89 दिनांक 11.01. 2008 द्वारा प्रावधान किया कि अगर कोई व्यक्ति राजकीय भूमि पर दिनांक 01.01.2000 से 5 वर्षो तक अनाधिकृत रूप से काबिज है तो उसे बेदखल ना किया जावे तथा इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि दिनांक 01.01.2000 से 7 वर्षो में से किन्ही 5 वर्षो तक भी कब्जा है तो उस व्यक्ति को डीएलसी दरों पर आवंटन कर दिया जावे। आवंटन नियम 1975 के उपनियम 21 (ए) में डीएलसी की पूर्ण राशि जमा करवाकर अतिक्रमी को आवंटन करने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है जिसे खारिज किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित अभिलेख मंगवाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश सरसरी तौर पर विधि विरूद्ध पारित किया गया है जिसे निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

1107

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.03 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोडेंट पैरोकार राज ने दौराने बहस कथन कि जैर अपील भूमि पर अपीलांट ने रकबा राज भूमि पर अतिक्रमण कर फसल रबी संवत 2071 बीजांत रखी था। जैर अपील आदेश द्वारा नियमानुसार ही कार्यवाही की गई है,जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया था। उक्त नोटिस अपीलांट को विधिवत रूप से तामील हुआ होने के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब नोटिस भी पेश किया गया है। जिससे जाहिर है कि अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की भलीभांती जानकारी थी। इसके अतिरिक्त धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम 1954 संक्षिप्त विचारण प्रकिया है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विधिवसम्मत होने से उक्त आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। प्रकरण की आदेशिका दिनांक 28.09.2021 द्वारा पारित स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। निर्णय प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जि. गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.01.03 11:54:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner